

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी (नायब तहसीलदार) उप-तहसील टापरी,  
जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश-172 104

मिसल नं० : 803412 / 2026

तारीख मरजुआ : 26-02-2026

श्री बलवीर पुत्र ज्ञाननर, निवासी गांव उरनी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर, हि०प्र०।

बनाम

आम जनता

विषय.—हि०प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 38 के तहत राजस्व इन्द्राज दुरुस्ती।

श्री बलवीर पुत्र ज्ञाननर, निवासी गांव उरनी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर, हि०प्र० ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र बराए अपने पिता का नाम दुरुस्त करने बारे पेश किया है। प्रार्थी के पिता का नाम पटवार वृत्त उरनी के राजस्व अभिलेख उप-महाल कुटानो व राल्लसंथग में ज्ञानजोर दर्ज है, जबकि संलग्न दस्तावेज, नकल परिवार रजिस्टर, ब्यान हल्फिया व नकल जमाबन्दी उप-महाल उरनी खास के अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम ज्ञाननर सही दर्ज है। प्रार्थी ने अपने पिता का नाम राजस्व रिकार्ड पटवार वृत्त उरनी के उप-महाल कुटानो व राल्लसंथग में ज्ञाननर दुरुस्त करने के आदेश पारित करने हेतु अनुरोध किया है।

अतः सर्वसाधारण आम जनता को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता का नाम पटवार वृत्त उरनी के उप-महाल कुटानो व राल्लसंथग में ज्ञानजोर पुत्र फुला सुख के बजाये ज्ञाननर उपनाम ज्ञान पुत्र फुला सुख दुरुस्त करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर/एतराज अन्दर एक माह असालतन व वकालतन अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज लिखित रूप में पेश करें, अन्यथा हि०प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 38 के तहत प्रार्थी के नाम दुरुस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 03-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी (नायब तहसीलदार) उप-तहसील टापरी,  
जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश-172 104

मिसल नं० : 803413 / 2026

तारीख मरजुआ: 26-02-2026

श्री आर्दश नेगी सुपुत्र श्री मोहन सिंह, निवासी गांव उरनी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर,  
हि०प्र०।

बनाम

आम जनता

विषय.—हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 38 के तहत राजस्व इन्द्राज दुरुस्ती।

श्री आर्दश नेगी सुपुत्र श्री मोहन सिंह, निवासी गांव उरनी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर, हि0प्र0 ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती करने बारे पेश किया है। प्रार्थी का नाम पटवार वृत्त उरनी के राजस्व अभिलेख में आर्दश दर्ज है, जबकि उसका नाम संलग्न दस्तावेज, नकल परिवार रजिस्टर, ब्यान हल्फिया, मैट्रिक सर्टिफिकेट व आधार कार्ड में आर्दश नेगी सही दर्ज है। प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व रिकार्ड पटवार वृत्त उसी के उप-महाल उरनी, कुटानो, राल्लसथग तथा युला खास में आर्दश नेगी दुरुस्त करने के आदेश पारित करने हेतु अनुरोध किया है।

अतः सर्वसाधारण आम जनता को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम पटवार वृत्त उरनी के उप-महाल उरनी खास, कुटानो, राल्लसथग तथा युला खास में आर्दश पुत्र मोहन सिंह के बजाये आर्दश नेगी उपनाम आर्दश पुत्र मोहन सिंह दुरुस्त करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर/एतराज अन्दर एक माह असालतन व वकालतन अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज लिखित रूप में पेश करें, अन्यथा हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 38 के तहत प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 03-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री इन्द्र सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार) उप-तहसील टापरी,  
जिला किन्नौर (हि0प्र0)—172 104।

मुकद्दमा संख्या: 3/B&D/2026

तारीख रजुआ : 26-02-2026

दलीप कुमार पुत्र श्री राम चन्दर, निवासी ग्राम सुरू, डाकघर कुट, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—उनवाद मुकद्दमा दरखास्त अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

दलीप कुमार पुत्र श्री राम चन्दर, निवासी ग्राम सुरू, डाकघर कुट, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0) का प्रार्थना-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला किन्नौर स्थित रिकांगपिओ के कार्यालय पत्र संख्या HFW-KNR(B&D)/25/26-2032-33, दिनांक 21-02-2026 जोकि तहसीलदार निचार के माध्यम से इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें आवेदक ने अपनी जन्म तिथि 03-06-1971 ग्राम पंचायत रामणी में दर्ज करने बारे आवेदन किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि ग्राम पंचायत रामणी के रिकार्ड में श्री दलीप कुमार की जन्म तिथि दिनांक 03-06-1971 दर्ज किए जाने पर किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना उजर व एतराज अन्दर एक माह इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के

अंतर्गत श्री दलीप कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत रामणी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 03 मार्च, 2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
(इन्द्र सिंह),  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी (नायब तहसीलदार) उप-तहसील टापरी,  
जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश-172 104

मिसल नं० : 803413 / 2026

तारीख मरजुआ: 26-02-2026

श्रीमती सनम पति पत्नी स्व० देवी सिंह, निवासी गांव व डाकघर रामनी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.—हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 38 के तहत राजस्व इन्द्राज दुरुस्ती।

श्रीमती सनम पति पत्नी स्व० देवी सिंह, निवासी गांव व डाकघर रामनी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर, हि0प्र0 ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र बराए अपने पति का नाम दुरुस्त करने बारे पेश किया है। प्रार्थिया के पति का नाम पटवार वृत्त छोलतु के राजस्व अभिलेख उप-महाल रामनी खास व शुथानंग में तानजीन पुत्र अरज दर्ज हैं जबकि संलग्न दस्तावेज नकल परिवार रजिस्टर, ब्यान हल्फिया व आधार कार्ड में प्रार्थिया के पति का नाम देवी सिंह दर्ज है। मुताबिक प्रार्थना-पत्र व ब्यान हल्फिया तानजीन पुत्र अरज प्रार्थिया के पहले पति थे तथा देवी सिंह पुत्र सनम राम दूसरे पति थे जोकि हाल में दोनों मृत्यु पा चुके हैं। प्रार्थिया ने अपने पति का नाम राजस्व रिकार्ड पटवार वृत्त छोलतु के उप-महाल रामनी खास व शुथानंग में तानजीन पुत्र अरज के बजाए देवी सिंह पुत्र सनम राम दुरुस्त करने के आदेश पारित करने हेतु अनुरोध किया है।

अतः सर्वसाधारण आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के पति का नाम राजस्व रिकार्ड पटवार वृत्त छोलतु के उप-महाल रामनी खास व शुथानंग में तानजीन पुत्र अरज के बजाए देवी सिंह पुत्र सनम राम दुरुस्त करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर/एतराज अन्दर एक माह असालतन व वकालतन अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज लिखित रूप में पेश करें, अन्यथा हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 38 के तहत प्रार्थिया के पति का नाम व वल्दीयत दुरुस्ती के आदेश पारित किया जावेगा। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 03-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

-----  
ब अदालत श्री इन्द्र सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार) उप-तहसील टापरी,  
जिला किन्नौर (हि0प्र0)-172 104

मुकद्दमा संख्या: 4 / B&D / 2026

तारीख रजुआ : 26-02-2026

रमीला पत्नी श्री राम प्रकाश, निवासी ग्राम व डाकघर टापरी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—उनवान मुकद्दमा दरखास्त अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

आवेदिका रमीला पत्नी श्री राम प्रकाश, निवासी ग्राम व डाकघर टापरी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का प्रार्थना-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला किन्नौर स्थित रिकांगपिओ के कार्यालय पत्र संख्या HFW-KNR(B&D)/25/26-872-73 दिनांक 19-01-2026 जोकि तहसीलदार निचार के माध्यम से इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें आवेदिका हिरा चन्द पुत्री देवी राम की पुत्री ने अपनी जन्म तिथि 15-01-1981 ग्राम पंचायत चगाव में दर्ज करने बारे आवेदन किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि ग्राम पंचायत चगाव के रिकार्ड में आवेदिका रमीला की जन्म तिथि दिनांक 15-01-1981 दर्ज किए जाने पर किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना उजर व एतराज अन्दर एक माह इस अदालत में पेश कर सकता है। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अंतर्गत रमीला की जन्म तिथि ग्राम पंचायत चगाव के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 03 मार्च, 2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
(इन्द्र सिंह),  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

-----  
ब अदालत श्री इन्द्र सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार) उप-तहसील टापरी,  
जिला किन्नौर (हि0प्र0)-172 104

मुकद्दमा संख्या: 6 / B&D / 2026

तारीख रजुआ : 26-02-2026

कृष्णा देवी पत्नी श्री सोहन लाल, निवासी ग्राम व डाकघर युला, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—उनवान मुकद्दमा दरखास्त अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 के तहत पंजीकरण बारे।

आवेदिका कृष्णा देवी पत्नी श्री सोहन लाल, निवासी ग्राम व डाकघर युला, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का प्रार्थना-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला किन्नौर स्थित रिकांगपिओ के कार्यालय पत्र संख्या HFW-KNR(B&D)/25/26-1598-99, दिनांक 10-02-2026 जोकि तहसीलदार निचार के माध्यम से इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें आवेदिका ने अपनी जन्म तिथि 05-10-1973 ग्राम पंचायत उरनी में दर्ज करने बारे आवेदन किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि ग्राम पंचायत उरनी के रिकार्ड में कृष्णा देवी की जन्म तिथि दिनांक 05-10-1973 दर्ज किए जाने पर किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना उजर व एतराज अन्दर एक माह इस अदालत में पेश कर सकता है। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अंतर्गत कृष्णा देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत उरनी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 03 मार्च, 2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
(इन्द्र सिंह),  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री इन्द्र सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, (नायब तहसीलदार) उप-तहसील टापरी,  
जिला 2 किन्नौर (हि0प्र0)—172 104।

मुकद्दमा संख्या: 7 / B&D / 2026

तारीख रजुआ : 26-02-2026

इतवा भगत पुत्र श्री जितिया भगत, निवासी पूनंग, डाकघर टापरी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 के तहत जन्म पंजीकरण बारे।

आवेदक इतवा भगत पुत्र श्री जितिया भगत, निवासी पूनंग, डाकघर टापरी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का प्रार्थना-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला किन्नौर स्थित रिकांगपिओ के कार्यालय पत्र संख्या HFW-KNR(B&D)/25/26-1573-73, दिनांक 09-02-2026 जोकि तहसीलदार निचार के माध्यम से इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें आवेदक ने अपनी पुत्रीयों सुनीता कुमारी जन्म तिथि 28-03-2007 व अनिता कुमारी की जन्म तिथि 11-03-2011 ग्राम पंचायत पूनग में दर्ज करने बारे आवेदन किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि ग्राम पंचायत पूनग के रिकार्ड में प्रार्थी इतवा भगत की पुत्रीयों सुनीता कुमारी की जन्म तिथि दिनांक 28-03-2007 व अनिता कुमारी

की जन्म तिथि दिनांक 11-03-2011 दर्ज किए जाने पर किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना उजर व एतराज लिखित तौर पर अन्दर एक माह अथवा दिनांक 09-04-2026 प्रातः 11.00 बजे तक असालतन व वकालतन इस अदालत में पेश करें, अन्यथा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत श्री इतवा भगत की पुत्रीयों सुनीता कुमारी व अनीता कुमारी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पूनग के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 03-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -  
(इन्द्र सिंह),  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री इन्द्र सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, (नायब तहसीलदार) उप-तहसील टापरी,  
जिला किन्नौर (हि0प्र0)-172 104

मुकद्दमा संख्या 5/B&D/2026

तारीख रजुआ : 26-02-2026

विनोद तिर्की पुत्र श्री ईरूष तिर्की, गांव टापरी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 के तहत जन्म पंजीकरण बारे।

आवेदक विनोद तिर्की पुत्र श्री ईरूष तिर्की हाल निवासी गांव पूनग, डाकघर व उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का प्रार्थना-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला किन्नौर स्थित रिक्वांगपिओ के कार्यालय पत्र संख्या HFW-KNR(B&D)/25/26-892-93, दिनांक 20-02-2026 जोकि तहसीलदार निचार के माध्यम से इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें आवेदक ने अपने पुत्र अनुज तिर्की की जन्म तिथि 09-01-2006 व पुत्री ज्योति तिर्की की जन्म तिथि 30-01-2010 ग्राम पंचायत पूनग में दर्ज करने बारे आवेदन किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि ग्राम पंचायत पूनग के रिकार्ड में प्रार्थी विनोद तिर्की के पुत्र अनुज तिर्की की जन्म तिथि दिनांक 09-01-2006 व पुत्री ज्योति तिर्की की जन्म तिथि 30-01-2010 दर्ज किए जाने पर किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना उजर व एतराज लिखित तौर पर अन्दर एक माह अथवा दिनांक 09-04-2026 प्रातः 11.00 बजे तक असालतन व वकालतन इस अदालत में पेश करें, अन्यथा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत श्री विनोद तिर्की के पुत्र अनुज तिर्की व पुत्री ज्योति तिर्की की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पूनग के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 03-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -  
(इन्द्र सिंह),  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

-----